न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
116 / 2018	18.12.2018	11/7/2025

1. बनवारी पुत्र पन्ना जाति रैगर निवासी दौलतपुर तह0 गंगापुर सिटी
2. सांवलिया पुत्र पन्ना जाति रैगर निवासी दौलतपुर तह0 गंगापुर सिटी
3. मुस0 गुलाब बेवा पन्ना जाति रैगर निवासी दौलतपुर तह0 गंगापुर सिटी
4. रिंकू पुत्र रामप्रसाद जाति रैगर निवासी दौलतपुर तह0 गंगापुर सिटी
5. सेठी उम्र 10 वर्ष पुत्र रामप्रसाद नाबालिग जरिए नेचुरल संरक्षक माता कौशल्या जाति रैगर निवासी दौलतपुर तह0 गंगापुर सिटी
6. मुनीराज उम्र 12 वर्ष पुत्र रामप्रसाद नाबालिग जरिए नेचुरल संरक्षक माता कौशल्या जाति रैगर निवासी दौलतपुर तह0 गंगापुर सिटी
7. मु0 कौशल्या बेवा रामप्रसाद,रैगर नि0दौलतपुर तह0 गंगापुर ——वादीगण

बनाम

1. रामकिशोर पुत्र मूल्या जाति खारवाल निवासी दौलतपुर तह0 गंगापुर सिटी
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र मूल्या जाति खारवाल नि0 दौलतपुर तह0 गंगापुर सिटी
3. लालाराम पुत्र मूल्या जाति खारवाल निवासी दौलतपुर तह0 गंगापुर सिटी
4. गीता पत्नि बबलू जाति खारवाल निवासी दौलतपुर तह0 गंगापुर सिटी
5. चतरू पुत्र लल्ला जाति खारवाल निवासी दौलतपुर तह0 गंगापुर सिटी
6. तोताराम पुत्र बबलू जाति खारवाल निवासी दौलतपुर तह0 गंगापुर सिटी
7. सोनी पत्नि स्व0 हीरालाल जाति खारवाल नि0 दौलतपुर तह0 गंगापुरसिटी
8. हेमू पुत्र लल्ला जाति खारवाल निवासी दौलतपुर तह0 गंगापुर सिटी
9. सचिव, ग्राम पंचायत अहमदपुर तहसील गंगापुर सिटी
10. सार्वजनिक निर्माण विभाग जरिए अधिशाषी अभियंता रेल्वे स्टेशन के पास, बजरिया, गंगापुर सिटी
11. लैण्ड होल्डर राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी एवं उप पंजीयन अधिकारी गंगापुर सिटी
12. मैनेजर,स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा गंगापुर——प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक खातेदारी टीनेन्सी,
दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री महेश चन्द अग्रवाल, एडवोकेट, वादीगण की ओर से
श्री तरूण शर्मा एड0, प्रतिवादी नं0 3,5,6,7,8 की ओर से
श्री आर0के0 मिश्रा, एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 12 की ओर से
श्री राजकीय अधिवक्ता, प्रतिवादी नं0 11 की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.25 17:45:14 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम दौलतपुर तहसील गंगापुर सिटी में भूमि साबिक ख0नं0 142 रकबा 2 बीघा 3 विस्वा स्थित रही है जिसके काबिज काश्तकार खातेदार टीनेन्ट वादीगण के बाबा जैन्या पुत्र धन्ना रैगर रहे हैं। यह भूमि वादीगण के बाबा की आवंटनशुदा

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

नक्शा ट्रेस जिसमें ख0नं0 143 गै0मु0पाल है जिसका हाल ख0नं0 440 है उससे लगता हुआ साबिक ख0नं0 142 वादीगण की खातेदारी भूमि है व उससे लगता हुआ गैरमुमकिन रास्ता है उसके अनुरुप साबिक ट्रेस को देखते हुए एवं वर्तमान ट्रेस में हुई गलती के मुताबिक साबिक ट्रेस के अनुरूप दुरूस्ती की जावे एवं वर्तमान इन्द्राज प्रतिवादीगण निरस्त किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि ख0नं0 437/490 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 437 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 438 रकबा 0.05 है0, ख0नं0 439/501 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 439 रकबा 0.06 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 0.35 है0 एवं हाल ख0नं0 211 रकबा 0.23 है0 में से रकबा 0.11 है0 व ख0नं0 217 रकबा 0.17 है0 में से 0.11 है0 वाके ग्राम दौलतपुर वादीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग भूमि में किसी प्रकार की मानेमदालखत ना तो स्वयं देवे ना ही किसी अन्य से दिलावे, ना ही भूमि में जबरन प्रवेश करें, ना ही सडक, रास्ता भूमि में निकालें, ना ही गलत इन्द्राज की आड में भूमि को रहन, वय दान इत्यादि करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 4, 9 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

जबाब दावा प्रस्तुत करने हेतु बार बार अवसर दिए जाने के बाद भी शेष प्रतिवादीगण ने जबाब दावा प्रस्तुत नहीं किया अतः शेष प्रतिवादीगण का जबाब का अवसर बन्द किया गया।

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 84 प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 130 प्रदर्श–2, नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 33 प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 104 प्रदर्श–4, नकल जमाबंदी सं0 2025 से 2028 प्रदर्श–5, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–6, प्रदर्श–7, प्रदर्श–8, प्रदर्श–9, प्रदर्श–10 प्रस्तुत किए हैं बयान वादी बनवारी पुत्र पन्ना रैगर पी0डब्लू0 1 के कराए हैं।

प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

बहस विद्वान अभिभाषक वादीगण सुनी।

वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत की है जिसमें उन्होने अपने वादपत्र के अनुरूप [illegible] हुए वादीगण का वाद डिक्री करने का निवेदन किया है। लिखित बहस पत्रावली में संलग्न है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। वादीगण ने भूमि साविक खसरा नम्बर 142 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा इनके बाबा जैन्या पुत्र धन्ना रैगर की खातेदारी में होना बताया है। जो नकल जमाबंदी संवत 2025 से 2028 प्रदर्श 5 से प्रमाणित है। नकल मिला क्षेत्रफल प्रदर्श–6 एवं प्रदर्श–7 के अनुसार साविक खसरा नम्बर 142 से नवीन खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.23 17:45:14 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

नम्बर 437/490 एकबा 0.07 है0, ख0नं0 437 एकबा 0.10 है0, ख0नं0 438 एकबा 0.05 है0, ख0नं0 439/501 एकबा 0.07 है0, ख0नं0 439 एकबा 0.06 है0 बनाए गए है जो नकल जमाबंदी संवत 2070–2073 प्रदर्श 3 के अनुसार पन्ना पुत्र जैन्या रैगर हिस्सा 1/2, रामप्रसाद पुत्र जैन्या रैगर हिस्सा 1/2 की खातेदारी में दर्ज है। साविक एकबा खसरा नम्बर 142 का 2 बीघा 3 बिस्वा रहा है जिसका नवीन एकबे में 54 एयर एकबा बनता है परन्तु वादीगण को भू प्रबन्ध विभाग द्वारा 0.35 है0 एकबा ही दिया गया है जो वादीगण के साविक एकबे से 0.19 है0 कम बनता है। वादीगण का यह कथन है कि उनका यह एकबा प्रतिवादीगण के खसरा नम्बर 211 में 0.11 है0 व खसरा नम्बर 217 में 0.11 है0 लगा दिया गया है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 10 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 211 साविक खसरा नम्बर 132 मिन से बना है एवं हाल खसरा नम्बर 217 साविक खसरा नम्बर 131 मिन से बना है साविक खसरा नम्बर 132 मिन एवं 131 मिन किनकी खातेदारी में रहा है। इसका राजस्व अभिलेख वादीगण ने प्रस्तुत नही किया है। इसके अतिरिक्त वादीगण ने साविक नक्शा ट्रेस भी प्रस्तुत नही किया है। इनके अभाव में वादीगण का कथन प्रमाणित नही होता है। फलस्वरूप वादीगण का वाद अस्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद साविक अभिलेख के अभाव में प्रमाणित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 11/7/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी.

उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.23 17:45:14 IST
Reason: SelfAttested

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत उप जिलाकलक्टर मुकाम गंगापुर सिटी

इजलास बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

उनवान

1. बनवारी पुत्र पन्ना जाति रैगर निवासी दौलतपुर तह0 गंगापुर सिटी
2. सांवलिया पुत्र पन्ना जाति रैगर निवासी दौलतपुर तह0 गंगापुर सिटी
3. मुस0 गुलाब बेवा पन्ना जाति रैगर निवासी दौलतपुर तह0 गंगापुर सिटी
4. रिंकू पुत्र रामप्रसाद जाति रैगर निवासी दौलतपुर तह0 गंगापुर सिटी
5. सेठी उम्र 10 वर्ष पुत्र रामप्रसाद नाबालिग जरिए नेचुरल संरक्षक माता कौशल्या जाति रैगर निवासी दौलतपुर तह0 गंगापुर सिटी
6. मुनीराज उम्र 12 वर्ष पुत्र रामप्रसाद नाबालिग जरिए नेचुरल संरक्षक माता कौशल्या जाति रैगर निवासी दौलतपुर तह0 गंगापुर सिटी
7. मु0 कौशल्या बेवा रामप्रसाद,रैगर नि0दौलतपुर तह0 गंगापुर ——वादीगण

बनाम

1. रामकिशोर पुत्र मूल्या जाति खारवाल निवासी दौलतपुर तह0 गंगापुर सिटी
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र मूल्या जाति खारवाल नि0 दौलतपुर तह0 गंगापुर सिटी
3. लालाराम पुत्र मूल्या जाति खारवाल निवासी दौलतपुर तह0 गंगापुर सिटी
4. गीता पत्नि बबलू जाति खारवाल निवासी दौलतपुर तह0 गंगापुर सिटी
5. चतरू पुत्र लल्ला जाति खारवाल निवासी दौलतपुर तह0 गंगापुर सिटी
6. तोताराम पुत्र बबलू जाति खारवाल निवासी दौलतपुर तह0 गंगापुर सिटी
7. सोनी पत्नि स्व0 हीरालाल जाति खारवाल नि0 दौलतपुर तह0 गंगापुरसिटी
8. हेमू पुत्र लल्ला जाति खारवाल निवासी दौलतपुर तह0 गंगापुर सिटी
9. सचिव, ग्राम पंचायत अ[illegible] सिटी
10. सार्वजनिक निर्माण विभाग जरिए अधिशाषी अभियंता रेल्वे स्टेशन के पास, बजरिया, गंगापुर सिटी
11. लैण्ड होल्डर राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी एवं उप पंजीयन अधिकारी गंगापुर सिटी
12. मैनेजर,स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा गंगापुर——प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक खातेदारी टीनेन्सी,

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.23 17:45:14 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. –116/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री महेश चन्द अग्रवाल, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री तरूण शर्मा, एडवोकेट, श्री आर0के0 मिश्रा, एडवोकेट, श्री राजकीय अधिवक्ता मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद साबिक अभिलेख के अभाव में प्रमाणित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/7/2025 को जारी किया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.23 17:45:14 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)